A2

फर्द अहकाम
(नियम–26)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्रीमति जमना बाई पत्नि स्व. श्री चुन्नीलाल ओझा निवासी 33–ए, ब्रह्मपुरी, सैंती, चित्तौड़गढ़

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उप तहसीलदार बस्सी

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 49/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.05.2019	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलान्ट श्रीमति जमना बाई पत्नि स्व. श्री चुन्नीलाल ओझा निवासी 33–ए, ब्रह्मपुरी, सैंती, चित्तौड़गढ़ ने सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उप तहसीलदार, बस्सी के यहां सूचना चाहने हेतु प्रथम आवेदन दिनांक 19.05.2018 एवं द्वितीय आवेदन दिनांक 30.09.2018 को प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलार्थीया को सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उप तहसीलदार, बस्सी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीया द्वारा दिनांक 19.05.2018 एवं 30.09.2018 को सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में दिनांक 19.06.2018 एवं 30.10.2018 तक सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उप तहसीलदार, बस्सी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की अवधि के भीतर दिनांक 19.07.2018 एवं 30.11.2018 तक अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलार्थीया द्वारा अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की कालावधि समाप्त होने के लगभग 10 माह (प्रथम आवेदन हेतु) एवं 5 माह व 10 दिवस (द्वितीय आवेदन हेतु) के पश्चात् दिनांक 09.05.2019 को अपील प्रस्तुत की है एवं अपीलार्थीया द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त/कोई कारण भी अंकित नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपील ग्रहण योग्य नहीं होने से अपील अपीलार्थीया खारीज की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। (शिवांगी स्वर्णकार) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)	14/5/19

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official